

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 27 अगस्त, 2025 को 11.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. शून्य काल।

III. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम “सभा की बैठकें” के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

IV. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

V. ध्यानाकर्षण सूचनाएं।

(i)	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-11 जिसकी सूचना- 1. श्री अदित्य देवीलाल, एम.एल.ए.; 2. श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।	राज्य में भूमि/भूखंडों के कलेक्टर दरों में अत्यधिक वृद्धि से संबंधित।
(ii)	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-16 जिसकी सूचना श्री इंदुराज राज सिंह नरवाल, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।	हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ भेदभाव से संबंधित।

VI. ‘नेवा’ पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र।

1.	एक मंत्री	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 24(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग अधिसूचना संख्या 17189, दिनांकित 9 मई, 2025 मेज पर रखेंगे।
2.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1996-1997 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
3.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1997-1998 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
4.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1998-1999 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
5.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1999-2000 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

[illegible]

20.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2014-2015 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
21.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2015-2016 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
22.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016-2017 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
23.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017-2018 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
24.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-2019 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
25.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
26.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020 -2021 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
27.	एक मंत्री	फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफ.एम.डी.ए.) अधिनियम, 2018 (2019 का अधिनियम संख्या 9) की धारा 39 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण, (एफ.एम.डी.ए.) के बजट पर वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
28.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) तथा 105 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
29.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-2021 के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
30.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा सरकार की 2025 की रिपोर्ट संख्या-1 (राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) की राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
31.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की 2025 की रिपोर्ट संख्या-2 (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन- सिविल और सार्वजनिक के उपक्रम) पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

VII. विधायी कार्य।

(i) (पुरःस्थापन, विचार तथा पारित हेतु विधेयक)

1. हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2025	एक मंत्री	हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) द्वितीय संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
---	-----------	--

चण्डीगढ़:
26 अगस्त, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।